संख्या- 39 /2021/1802/चार-2020

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 9 मार्च, 2021**

विषयः- विश्व धरोहर सप्ताह (19-25 नवम्बर 2020) के अवसर पर क्षेत्रीय अभिलेखागार वाराणसी द्वारा संरक्षित स्मारक गुरूधाम मन्दिर परिसर, वाराणसी में अभिलेख प्रदर्शनी के आयोजन की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2821/ सं0नि0-5(18)/07-08 टीसी , दिनांक 18 नवम्बर 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व धरोहर सप्ताह (19-25 नवम्बर 2020) के अवसर पर क्षेत्रीय अभिलेखागार वाराणसी द्वारा संरक्षित स्मारक गुरूधाम मन्दिर परिसर, वाराणसी में अभिलेख प्रदर्शनी के आयोजन हेतु रू0 22,400/- की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रू0 22,400/- (रूपये बाइस हजार चार सौ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) समस्त कार्यो का भौतिक सत्यापन, पुष्टि तथा समस्त बिल-बाउचरों की जॉच करने के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- उक्त धनराशि रू0 22,400/- (रूपये बाइस हजार चार सौ मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-104 अभिलेखागार-03-राज्य अभिलेख-42-अन्य व्यय मद (क्षेत्रीय अभिलेखागार, वाराणसी) में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

संख्या 39 /2021/1802/(1)/चार-2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।